



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-17.11.2024

विषय:- थाना लोहता क्षेत्रान्तर्गत सिरसा बाजार के पास आभूषण व्यवसायी से लूट की घटना का सफल अनावरण, शातिर लुटेरा महेश गुप्ता पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद पिस्टल .32 बोर व 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस, लूट के आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो.सा. बरामद तथा प्रकाश में आये लूट में शामिल 04 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 1 किलो 60 ग्राम सफेद धातु के आभूषण तथा लूट की घटना में प्रयुक्त दूसरी मोटरसाइकिल बरामद बरामद की गयी।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान आज दिनांक 17.11.2024 को समय करीब 02.30 बजे वीरसिंहपुर वरुणा पुल के पास से मु.अ.सं. 226/24 धारा 61(2),317(3),310(2) बीएनएस थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त महेश गुप्ता पुत्र स्व0 आशा राम गुप्ता निवासी ग्राम कोरउत थाना लोहता जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया, मौके से 01 अदद पिस्टल .32 बोर, 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस .32 बोर, लूट के आभूषण(520 ग्राम सफेद धातु व 01 अदद लाकेट पीली धातु), 01 अदद मोबाइल एण्ड्रायड रेडमी तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुआ तथा प्रकाश में आये लूट की घटना में शामिल शेष अन्य 04 अभियुक्तगण अभिषेक राजभर,जयहिन्द उर्फ अजगर,कौशल राजभर एवं अर्जुन सेठ को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 17.11.2024 को समय करीब 11.45 बजे दयापुर नकई बार्डर पर बंद पडी खंडहरनुमा फैक्ट्री से लोहता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से सर्राफा व्यवसायी से लूटे गये आभूषण वजनी करीब 1 किलो 50 ग्राम सफेद धातु बरामद हुए हैं एवं लूट की घटना में प्रयुक्त दूसरी मोटर साइकिल रजि0 नं. यूपी 65 एफबी 1580 अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद की गयी है। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना लोहता में मु.अ.सं. 234/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन द्वारा 20,000/- रु. नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी है।

घटना का विवरण-

आज दिनांक 17.11.2024 को रात्रिगश्त में मामूर उ0नि0 विशाल सिंह तथा उ.नि. अनुज शुक्ला के नेतृत्व में 02 पुलिस टीमों द्वारा क्रमशः वीरभानपुर तथा कोरउत बाजार में संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि तभी समय लगभग 01.22 बजे आरटी सेट से दूसरी टीम द्वारा सूचना दी गयी कि दो संदिग्ध व्यक्ति जो पुलिस द्वारा रोकने पर नहीं रुके तथा असलहा लहराते हुए एक मोटर साइकिल से कोरउत गेट से वीरसिंहपुर वरूणा पुल की तरफ भाग रहे है जिसका पीछा पुलिस टीम द्वितीय कर रही है। इस सूचना पर उ0नि0 विशाल सिंह के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम वरूणा पुल के पास नाकाबन्दी कर चेकिंग करने लगी तभी एक मोटरसाइकिल बहुत तेज रफ्तार से वरूणा पुल की तरफ आते हुए दिखायी दी जिसे पुलिस वालों द्वारा टार्च की रोशनी डालकर रुकने को कहा गया तो मोटरसाइकिल सवार तेजी से मोटरसाइकिल मोड़ कर भागने का प्रयास करने लगे कि मोटरसाइकिल हड़ब्रडाहट में फिसल कर गिर गयी कि इतने में बदमाशों का पीछा करने वाली दूसरी पुलिस टीम को अपनी तरफ आते देख मो.सा. पर सवार बदमाश ने हाथ में लिए हुए असलहा से लक्ष्य साध कर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर लगातार दो फायर किये जिससे पुलिस वाले बाल बाल बच गये तब पुलिस द्वारा कन्ट्रोल रूम को सहायता हेतु अतिरिक्त पुलिस बल के लिये बताया गया तथा बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो मोटरसाइकिल चालक बदमाश ने भी पुलिस पार्टी पर एक फायर कर दिया तब आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल के सिद्धान्त का पालन करते हुए एवं अभियुक्तगण के जीवन रक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस वालों द्वारा फायर किया गया तो दोनो में से एक बदमाश जमीन पर गिर गया और चिल्लाया कि शिवम तुम भागो, मेरे पैर में गोली लग गयी है तब मोटरसाइकिल चालक बदमाश अंधेरे व झाड़ी झंखाड का फायदा उठाते हुए मौके से पुल के नीचे की तरफ भागने में सफल रहा। पुलिस वालों द्वारा मौके पर जाकर घायल बदमाश को देखा तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी थी, खून निकल रहा है, जमीन पर पड़ा कराह रहा था तथा पास में ही एक अदद पिस्टल .32 बोर , दो अदद खोखा कारतूस .32 बोर व कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस न0 UP62J2137 पडी थी। जमीन पर पड़े बदमाश से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम महेश गुप्ता पुत्र स्व0 आशा राम गुप्ता निवासी ग्राम कोरउत थाना लोहता जनपद वाराणसी बताया एवं बदमाश ने यह भी बताया कि मैने अपने साथी 01. शिवम यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी गिरीधरपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी 02. अभिषेक राजभर पुत्र काशी राजभर निवासी परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी 03. जयहिन्द उर्फ अजगर पुत्र चन्दन राजभर निवासी ग्राम परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी 04. कौशल राजभर पुत्र सुजीत राजभर निवासी परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी के साथ मिल कर दिनांक 05.11.24 को सिरसा गाँव के पास समय करीब 08.30 बजे रात्रि एक मोटरसाकिल सवार स्वर्ण व्यवसायी का बैग लूटा था जिसमें सोना चाँदी के आभूषण थे । प्रकाश में आये लूट की घटना में शामिल शेष अन्य 04 अभियुक्तगण अभिषेक राजभर, जयहिन्द उर्फ अजगर, कौशल राजभर एवं अर्जुन सेठ को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 17.11.2024 को समय करीब 11.45 बजे दयापुर नकई बार्डर पर बंद पडी खंडहरनुमा फैक्ट्री से लोहता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से सर्राफा व्यवसायी से लूटे गये आभूषण वजनी करीब 1 किलो 50 ग्राम सफेद धातु बरामद हुए हैं एवं लूट की घटना में प्रयुक्त दूसरी मोटर साइकिल रजि0 नं. यूपी 65 एफबी 1580 अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद की गयी है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर अभियुक्त महेश गुप्ता ने बताया कि मैंने अपने साथी 01.शिवम यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी गिरिधरपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी 02.अभिषेक राजभर पुत्र काशी राजभर निवासी परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी 03.जयहिन्द उर्फ अजगर पुत्र चन्दन राजभर निवासी ग्राम परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी 04.कौशल राजभर पुत्र सुजीत राजभर निवासी परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी के साथ मिल कर दिनांक 05.11.2024 को सिरसा गाँव के पास समय करीब 08.30 बजे रात्रि एक मोटरसाकिल सवार स्वर्ण व्यवसायी का बैग लूटा था जिसमें सोना चाँदी के आभूषण थे। उस स्वर्ण व्यवसायी की लूटने की योजना अर्जुन सेठ उर्फ दयालू सेठ पुत्र लाल बहादुर सेठ निवासी ग्राम कोरउत थाना लेहता जनपद वाराणसी ने बनायी थी तथा बताया था कि स्वर्ण व्यवसायी दीपक सेठ जिसकी दुकान महेशपुर लहरतारा में हैं रोजाना अपनी दुकान बन्द कर शाम को अपने साथ दुकान का आभूषण लेकर अपने घर ग्राम कोरउत आता है यदि उसको लूटेंगे तो काफी माल मिलेगा। इस योजना को मैंने अपने चारो साथियों को बता कर सबके साथ मिल कर अर्जुन सेठ की सूचना पर स्वर्ण व्यवसायी दीपक सेठ को लूटा था लूट की घटना कारित करते समय मेरे पास यही मोटरसाइकल थी जिसपर मैं और शिवम आज जा रहे थे, दूसरी मोटरसाइकिल कौशल राजभर की थी। लूटने के बाद हम सभी छः लोगो ने आभूषणों को बांट लिया था। मेरे हिस्से में 09 जोड़ी पायल, 11 जोड़ी मीना , 02 चैन सफेद धातु की एवं 01 पीली धातु का लाकेट आया था जिसे लेकर आज मैं अपने साथी शिवम यादव के साथ अपनी बहन के घर जा रहा था कि रास्ते में पुलिस चेकिंग को देखकर हम लोग वीरसिंहपुर वरुणा पुल की तरफ भागे तथा सामने से हमे पुलिस टीम ने घेर लिया, अपने को पुलिस से घिरता देख कर मैंने और शिवम ने पुलिस पर लक्ष्य साधकर जान से मारने की नियत से फायर किया था, पुलिस ने भी हमारे ऊपर जवाबी फायर किये जिससे मेरे पैर में गोली लगने के कारण मैं गिर गया जबकि शिवम मौके से झाडी झंखाड व अँधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1-महेश गुप्ता पुत्र स्व0 आशा राम गुप्ता निवासी ग्राम कोरउत थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2-अभिषेक राजभर पुत्र काशी राजभर निवासी परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी।
- 3-जयहिन्द उर्फ अजगर पुत्र चन्दन राजभर निवासी ग्राम परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी।
- 4-कौशल राजभर पुत्र सुजीत राजभर निवासी परमपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी।
- 5-अर्जुन सेठ उर्फ दयालू सेठ पुत्र लाल बहादुर सेठ निवासी ग्राम कोरउत थाना लोहता जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद पिस्टल 0.32 बोर।
2. 02 अदद खोखा कारतूस 0.32 बोर।
3. 02 अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोर।
4. दो अदद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 यूपी 62 जे 2137 व यूपी 65 एफबी 1580 ।
5. 520 ग्राम सफेद धातु व 01 अदद लाकेट पीली धातु के आभूषण व 01 अदद मोबाइल नीला रंग रेडमी कम्पनी अभियुक्त महेश गुप्ता के कब्जे से।

6. 06 जोडी पायल, 33 पीस मीना सफेद धातु कुल वजन करीब 340 ग्राम अभियुक्त अभिषेक राजभर के कब्जे से।
7. 06 जोडी पायल 32 पीस मीना सफेद धातु कुल वजन करीब 245 ग्राम अभियुक्त जयहिन्द उर्फ अजगर के कब्जे से।
8. 06 जोडी पायल 32 पीस मीना सफेद धातु कुल वजन 260 ग्राम अभियुक्त कौशल राजभर के कब्जे से।
9. 04 जोडी पायल 03 पीस हाथ का चूडा सफेद धातु कुल वजन करीब 215 ग्राम अभियुक्त अर्जुन सेठ के कब्जे से।

गिरफ्तार का दिनांक, समय व स्थान –

- 1-वीरसिंहपुर वरुणा पुल थाना लोहता वाराणसी दिनांक- 17.11.2024 समय- 02.30 बजे अभियुक्त महेश गुप्ता गिरफ्तार।
- 2-दयापुर नकई बार्डर पर बंद पडी खंडहरनुमा फैक्ट्री से दिनांक- 17.11.2024 समय- 11.45 बजे दिन में अभियुक्तगण अभिषेक राजभर, जयहिन्द उर्फ अजगर, कौशल राजभर, अर्जुन सेठ उर्फ दयालू सेठ गिरफ्तार।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार कुल 05 नफर अभियुक्तगण –

- 1- मु०अ०स० 226/2024 धारा धारा 61(2),317(3),310(2) बीएनएस थाना लोहता जनपद वाराणसी ।

अभियुक्त महेश गुप्ता का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 234/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोहता जनपद वाराणसी
2. मु०अ०स० 244/2022 धारा 308, 323, 504, 506 भादवि थाना लोहता वाराणसी
4. मु०अ०स० 31/2024 धारा 379, 411, 413, 414, 419, 420 भादवि थाना चक्रिया चंदौली
5. मु०अ०स० 43/2024 धारा 34, 379, 411 भादवि थाना अहिरौरा जनपद मिर्जापुर
6. मु०अ०स० 288/2018 धारा 379/411 भादवि थाना केराकत जनपद जौनपुर

अभियुक्त अभिषेक राजभर का आपराधिक इतिहास

- 1.मु०अ०स० 82/2024 धारा 7 सीएलए एक्ट व 147/148/149/323/336/352/427 भादवि थाना जंसा वाराणसी
2. मु०अ०स० 167/2024 धारा 115(2)/191(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना लोहता वाराणसी

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार, उ०नि० विशाल कुमार सिंह ,उ०नि० अनुज शुक्ला, उ०नि० अमित कुमार यादव, उ०नि० विपिन सिंह, उ०नि० अजय कुमार राय, हे०का० सत्यप्रकाश सिंह, हे०का० भागीचन्द, हे०का० राम केवल प्रजापति, हे०का० अब्दुल राशीद खान, हे०का० प्रवीन कुमार सिंह, का० अजीत कुमार, का० संदीप यादव थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।

